MANOHAR PARRIKAR
idsa
MANOHAR PARRIKAR INSTITUTE FOR DEFENCE STUDIES AND ANALYSES
मनोहर पर्रिकर रक्षा अध्ययन एवं विश्लेषण संस्थान

MP-IDSA
Issue Brief

पाकिस्तान में बदलता राजनीतिक परिदृश्य

आशीष शुक्ल

जनवरी 18, 2024

सारांश

पाकिस्तान में 8 फरवरी 2024 को होने वाले आम चुनावों की तैयारियाँ जोर-शोर से चल रही हैं| देश की राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले सुरक्षा अधिष्ठानों ने इस चुनाव में अपनी प्राथमिकताएँ स्पष्ट कर दी हैं| इमरान खान और उनके राजनीतिक दल पी.टी.आई. को लगभग नेस्तनाबूद कर दिया गया है और विपक्षी पाकिस्तान मुस्लिम लीग-एन. के रास्ते के काँटों को एक-एक करके हटा दिया गया है| यदि सब कुछ पूर्व निर्धारित कथानक के अनुसार घटित होता है तो पाकिस्तानी सत्ता का काँटों भरा ताज चौथी बार नवाज़ शरीफ के मस्तक पर सुसज्जित होगा| यह देखना दिलचस्प रहेगा कि यह ताज कितने समय तक उनके सर पर रहता है|

पाकिस्तान में अंतर-सांस्थानिक और अन्तःसांस्थानिक संबंधों की जटिल प्रकृति एवं गत्यात्मकता के कारण वहाँ की राजनीति में अस्थिरता के साथ-साथ आश्चर्यजनक तत्वों का समावेश रहा है| पाकिस्तानी राजनीति का अध्ययन करते समय अध्येता और विश्लेषकों को बहुत से 'किन्तु' एवं 'परन्तु' का सामना करना पड़ता है| आश्चर्य की बात तो यह है कि दिनोंदिन बदलते राजनीतिक परिदृश्य में इन 'किन्तु' एवं 'परन्तु' के उत्तर खोजने के क्रम में बहुत से नए 'किन्तु' एवं 'परन्तु' से दो-चार होना पड़ता है| पिछले दिनों मुख्य न्यायाधीश काज़ी फैज़ ईसा की अध्यक्षता में गठित उच्चतम न्यायालय की सात-सदस्यीय खण्डपीठ ने एक ऐतिहासिक निर्णय देते हुए संविधान के अनुच्छेद 62(1)(f) के अंतर्गत अयोग्य पाए जाने वाले लोकसेवकों के सार्वजनिक पदों पर आसीन होने पर लगे आजीवन प्रतिबन्ध को 6-1 के बहुमत वाले निर्णय से हटा दिया| इससे पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज़ शरीफ, पूर्व वित्त मंत्री जहाँगीर तरीन समेत अन्य अनेक राजनीतिक नेताओं के 8 फरवरी को प्रस्तावित आगामी चुनाव में प्रतिभाग करने व उसके उपरान्त सार्वजिनक पदों पर आसीन होने का रास्ता साफ़ हो गया है|

मजलिस-ए-शूरा (संसद) में सदस्यों की योग्यता सम्बन्धी शर्तें

गौरतलब है कि पाकिस्तानी संविधान का अनुच्छेद 62 संसद सदस्यों की योग्यता सम्बन्धी शर्तों का उल्लेख करता है तथा इसका उपबंध (1)(f) सदस्यों के उपर "समझदार, न्याय-परायण, सच्चरित्र, ईमानदार एवं विश्वसनीय" होने की शर्त लगाता है| अप्रैल 2017 में तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश आसिफ सईद खोसा की अध्यक्षता में गठित उचतम न्यायालय की एक पाँच-सदस्यीय खण्डपीठ ने उस समय के प्रधानमंत्री नवाज़ शरीफ को अनुच्छेद 62(1)(f) के उल्लंघन का दोषी मानते हुए उन्हें सार्वजनिक पदों के लिए अयोग्य करार दे दिया जिसके फलस्वरूप उन्हें प्रधानमंत्री के पद से त्यागपत्र देना पड़ा था| वास्तव में नवाज़ शरीफ पर आरोप यह था कि अपने राजनीतिक निर्वासन के दौरान वह अपने पुत्र की कम्पनी Capital FZE में बतौर सभापति कार्यरत थे और उस पद के लिए निर्धारित वेतन का जिक्र उन्होंने 2013 के आम चुनाव के लिए दाखिल किए गए शपथपत्र में नहीं किया था|[1] नवाज़ शरीफ का इस बारे में कहना था कि उनके अपने पुत्र की कम्पनी में काम करने का उद्देश्य निर्वासन के दौरान दूसरे देश का लम्बी अवधि का वीज़ा प्राप्त करना था| उन्होंने यह

[1] **"Article 62—A Law that Nawaz's Party had Defended Becomes His Undoing"**, *The Express Tribune,* 28 July 2018.

भी स्पष्ट किया कि चूँकि उन्होंने वास्तव में कम्पनी से कोई वेतन नहीं लिया इसलिए उसका जिक्र शपथपत्र में नहीं था| न्यायालय ने उनकी यह दलील अस्वीकार करते हुए उन्हें सार्वजनिक पद पर बने रहने के लिए अयोग्य करार दे दिया था|

अनुच्छेद 62(1)(f) के अंतर्गत अयोग्यता एवं प्रतिबंध

उच्चतम न्यायालय के समक्ष ईमानदार, सच्चा एवं सच्चरित्र न साबित हो पाने के कारण नवाज़ शरीफ को पहले तो प्रधानमंत्री पद से हाथ धोना पड़ा और बाद में देश के सुरक्षा अधिष्ठान की नाराजगी के चलते न केवल कानूनी दांवपेंच की एक लम्बी पीड़ादायक लड़ाई लड़नी पड़ी बल्कि जेल जाने के साथ अन्य तमाम परेशानियों का सामना भी करना पड़ा| इस बीच पाकिस्तानी सेना अपने चहेते इमरान खान की 2018 के आम चुनाव में जीत सुनिश्चित करने में सफल रही जिसके बाद नवाज़ शरीफ की मुश्किलें और बढ़ गईं| सम्पूर्ण व्यवस्था में व्याप्त सैन्य प्रभाव और दबदबे के साथ ही इमरान खान के सत्तासीन होने के कारण नवाज़ शरीफ और उनके करीबियों को न्यायालय से भी कोई ख़ास राहत न मिल सकी और एक के बाद एक उनके करीबियों को जेल की सलाखों के पीछे पहुँचाया जाने लगा| एक समय में तो हालात इस कदर प्रतिकूल हो गए थे कि नवाज़ शरीफ को उनकी कैंसर पीड़ित पत्नी कुलसुम नवाज़, जो मृत्युशैय्या पर थीं, से बात करने या मिलने लन्दन जाने की अनुमति नहीं मिली| बाद में कुलसुम नवाज़ की मृत्यु होने पर उन्हें और उनकी पुत्री मरियम नवाज़ को पैरोल पर अस्थायी रूप से रिहा किया गया|

इस बीच अप्रैल 2018 में मुख्य न्यायाधीश मियां साकिब निसार की अगुवाई में गठित उच्चतम न्यायालय की पाँच सदस्यीय खण्डपीठ ने समीउल्ला बनाम अब्दुल करीम नौशेरवानी मामले में निर्णय देते हुए स्पष्ट किया कि किसी लोकसेवक को अनुच्छेद 62(1)(f) के उल्लंघन का दोषी पाए जाने की स्थिति में सार्वजानिक पदों पर आसीन होने की उसकी अयोग्यता स्थायी होगी और ऐसा व्यक्ति न तो चुनाव लड़ सकता है और न ही संसद का सदस्य निर्वाचित हो सकता है|[2] यद्यपि यह निर्णय एक अन्य मुकदमें में आया था लेकिन इसका परिणाम यह हुआ कि इससे नवाज़ शरीफ के राजनीतिक भविष्य पर भी पूर्ण विराम लग गया| जैसा कि पहले स्पष्ट किया गया है कि पाकिस्तानी राजनीति की प्रकृति कुछ ऐसी है कि वह अचानक से अचंभित कर देती है|

[2] Haseeb Bhatti, **"Disqualification Under Article 62(1)(f) is For Life, SC Rules in Historic Verdict"**, *The Dawn,* 13 April 2018.

कुछ ऐसा ही हुआ जब पाकिस्तानी सेना और इमरान खान के बीच मतभेद इस हद तक बढ़ गए कि उसे इमरान खान के शासन पर पर्दा गिराना पड़ा|

बदलती परिस्थितियों का लाभ उठाते हुए सत्ता विरोधी दलों ने अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से इमरान खान को सत्ता से बेदखल कर दिया और पीपुल्स डेमोक्रेटिक मूवमेंट (पी.डी.एम.) गठबंधन के अंतर्गत सत्तासीन हो गए| चूँकि यह सरकार छोटे अंतराल के लिए अस्तित्व में आई थी इसलिए अगले आम चुनाव में इमरान खान की सत्ता में वापसी की संभावनाओं को कम करने के लिए प्रयास शुरू कर दिए गए| इसी क्रम में नवाज़ शरीफ के निर्वासन को ख़त्म कर उनके पाकिस्तान वापस लौटने व विभिन्न कानूनी मुक़दमों में राहत देने का सिलसिला शुरू हुआ|

संशोधित 'चुनाव अधिनयम 2017' और अयोग्यता सम्बन्धी प्रश्न

इमरान खान को सत्ता में वापसी से रोकने तथा नवाज़ शरीफ को सत्ता के केंद्र में लाने के बीच की सबसे बड़ी बाधा उन पर सार्वजानिक पदों पर आसीन होने की अयोग्यता थी| इस समस्या का समाधान करने के लिए नेशनल असेम्बली ने 25 जून 2023 को एक बिल पास करके पाकिस्तान के 'चुनाव अधिनयम 2017' में कुछ महत्वपूर्ण संशोधन किए|[3] असल में संसद द्वारा जून 2023 में 'चुनाव अधिनयम 2017' की धारा 232 (2) में संशोधन करते हुए संविधान के अनुच्छेद 62(1)(f) के अंतर्गत उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अयोग्य करार दिए गए व्यक्तियों के संसद या प्रांतीय विधायिका के सदस्य निर्वाचित होने पर लगे प्रतिबन्ध की समय सीमा पाँच साल तक सीमित कर दी गई|[4]

इस संशोधन के कानूनी जामा पहनने के परिणामस्वरूप पाकिस्तान के राजनीतिक हलकों के साथ-साथ कानूनी जानकारों के बीच यह बहस तेज हो गई कि क्या आने वाले चुनाव में हालिया संशोधित चुनाव अधिनयम पर उच्चतम न्यायालय द्वारा अनुच्छेद 62(1)(f) के मामले में 2018 में दिया गया निर्णय प्रभावी होगा| अभी यह बहस चल ही रही थी कि उच्चतम न्यायालय में सरदार मीर बादशाह खान कैसरानी के मामले

[3] Irfan Sadozai, **"NA Passes Bill Limiting Disqualification of Lawmakers to Five Years"**, *The Dawn,* 25 June 2023.

[4] *The Election Act 2017*, Ministry of Law and Justice, Government of Pakistan, Islamabad, 2023, pp. 108–109.

में सुनवाई प्रारंभ हुई जिसमें उनकी 2008 और 2018 के आम चुनावों में फर्जी डिग्री के कारण उमीदवारी रद्द कर दी गयी थी|

इस मामले की सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश काज़ी फैज़ ईसा ने कहा कि उच्चतम न्यायालय के निर्णय का आजीवन प्रतिबन्ध और 'चुनाव अधिनियम 2017' में हुए हालिया संशोधन एक साथ नहीं चल सकते|[5] उन्होंने यह भी कहा कि उच्चतम न्यायालय की व्याख्या और कानून की असंगतियाँ आने वाले चुनाव में संदेह पैदा कर सकती हैं| और इस तरह इस संदेह को हमेशा के लिए ख़त्म करने के लिए उच्चतम न्यायालय की एक सात सदस्यीय खण्डपीठ का गठन किया|[6]

यहाँ यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि इस महत्वपूर्ण मुकदमे की सुनवाई के केंद्र में रहे संविधान के अनुच्छेद 62(1)(f) को जनरल जिया उल हक़ के सैन्य शासन के दौरान असंवैधानिक तरीके से जोड़ा गया था| संविधान के इस उपबंध की व्याख्या सम्बन्धी पेचीदगियों को ध्यान में रखते हुए उच्चतम न्यायालय ने वरिष्ठ वकील फैसल सिद्दीकी, उजैर करामात भंडारी, एवं कानूनी सलाहकार रीमा ओमर को एमिकस नियुक्त किया| सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश काजी फैज़ ईसा ने इस तथ्य पर आश्चर्य व्यक्त किया कि कैसे एक व्यक्ति (जिया उल हक़), जिसने अपनी संवैधानिक शपथ का उल्लंघन करते हुए संविधान को तबाह किया, संविधान में इस तरह की शर्तों को जोड़ सकता है|[7] उन्होंने यह भी प्रश्न उठाया कि जिस व्यक्ति का खुद का चरित्र सवालों के घेरे में हो, वह दूसरों के लिए आचरण सम्बन्धी शर्तों की बात कैसे कर सकता है|[8]

अनुच्छेद 62(1)(f) की पुनर्व्याख्या और आजीवन प्रतिबंध की समाप्ति

उच्चतम न्यायालय ने अपनी अनुच्छेद 62(1)(f) की पुनर्व्याख्या के माध्यम से यह स्पष्ट किया कि अनुच्छेद 62(1)(f) एक स्व-निष्पादक प्रावधान नहीं है क्योंकि इसमें न तो यह स्पष्ट किया गया है कि कौन सा न्यायालय किसी व्यक्ति के अन्दर उक्त अनुच्छेद में वर्णित गुणों के होने की घोषणा करेगा, और न ही उल्लंधन की दशा

[5] Sajjad Hussain, **"Pak Supreme Court to Hear on January 2 Lifetime Disqualification of Politicians"**, *The Print*, 1 January 2024.

[6] Ibid.

[7] Nasir Iqbal, **"Constitutional 'contradiction' puzzles CJP"**, *The Dawn,* 3 January 2024.

[8] Ibid.

में उसे प्रतिबंधित करने की प्रक्रिया एवं अवधि का वर्णन है| उच्चतम न्यायालय द्वारा पूर्व में अनुच्छेद 62(1)(f) की व्याख्या से स्थापित आजीवन प्रतिबन्ध उसके क्षेत्राधिकार से बाहर है तथा यह व्यक्ति के मूल अधिकारों का उल्लंघन है| इस तरह उच्चतम न्यायालय ने 'चुनाव अधिनियम 2017' में किए गए हालिया संशोधनों को स्वीकार करते हुए प्रतिबन्ध को पाँच साल तक सीमित कर दिया|[9]

अनुच्छेद 62(1)(f) के तहत आजीवन प्रतिबन्ध को समाप्त करने के पक्ष में मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति काज़ी फैज़ ईसा के अतिरिक्त न्यायमूर्ति सय्यद मंसूर अली शाह, न्यायमूर्ति अमीनुद्दीन खान, न्यायमूर्ति जमाल खान मंदोखेल, न्यायमूर्ति मुहम्मद अली मज़हर और न्यायमूर्ति मुसर्रत हिलाली शामिल थे| उपरोक्त मामले में न्यायमूर्ति याह्या अफरीदी ने अपनी लिखित असहमति दर्ज की| न्यायमूर्ति याह्या अफरीदी का मानना था कि अप्रैल 2018 में समीउल्ला बलोच बनाम अब्दुल करीम नौशेरवानी मामले में उच्चतम न्यायालय का निर्णय विधिसम्मत है|

वर्तमान समय में उभरती परिस्थितियों के आलोक में न्यायमूर्ति याह्या अफरीदी की असहमति को ज्यादा महत्त्व नहीं दिया जा रहा है, लेकिन उसे पूरी तरह दरकिनार करना उचित प्रतीत नहीं होता है क्योंकि इस तरह के मामले में एक असहमति भी भविष्य में न्यायालय की किसी दूसरी बड़ी खण्डपीठ के लिए अनुच्छेद 62(1)(f) की पुनर्व्याख्या का रास्ता खुला रखती है| इसलिए इस सकारात्मक निर्णय का स्वागत तो करना ही चाहिए, लेकिन साथ ही हमें असहमति पत्र का आने वाले समय पर पड़ने वाले प्रभाव को भी पूरी तरह दरकिनार नहीं करना चाहिए|

पाकिस्तानी सेना का आधिपत्य, उसकी समस्या एवं चुनौतियाँ

पाकिस्तान के राष्ट्रीय फलक पर वहाँ के सुरक्षा अधिष्ठानों, विशेषकर सेना, का हावी रहना एक ऐसा तथ्य है जिसे कभी झुठलाया नहीं जा सकता है| पाकिस्तान के लगभग साढ़े सात दशक के इतिहास में सेना ने तीन दशक तो प्रत्यक्ष रूप से शासन किया जबकि बाकी के समय में अप्रत्यक्ष रूप से देश की नियति को प्रभावित करती रही है| बहुत सी बुराइयों से ग्रसित होने के बावजूद सेना देश की सबसे ताकतवर राजनीतिक ताकत

[9] Haseeb Bhatti, **"SC Rules Against Lifetime Disqualification; Nawaz and Tareen Eligible to Contest Polls"**, *The Dawn,* 8 January 2024.

मानी जाती है जो अक्सर देश में राजनीतिक प्रक्रियाओं को प्रभावित करते हुए उसके नतीजों को नियंत्रित करती है|

आम जनमानस के बीच लोकप्रिय राजनीतिक व्यक्तित्वों को ज़रूरत से ज्यादा नापसंद करने के बावजूद यह उन्हें एक-दूसरे के विरुद्ध इस्तेमाल करने में कोई संकोच नहीं करती है| इसकी यह नीति बेनजीर भुट्टो और नवाज़ शरीफ, जो नब्बे के दशक में दो बार सत्ता में एक-दूसरे के विकल्प के रूप में काबिज़ हुए, के प्रति काफी कारगर रही| लेकिन 2006 में दोनों नेताओं ने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पर हस्ताक्षर करते हुए सेना की इस नीति को विफल करने का प्रयास किया| चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की यह सहमति दिसंबर 2007 में एक आतंकी हमले, जिसका मुख्य कर्ताधर्ता लोग जनरल परवेज़ मुशर्रफ को मानते हैं, में बेनजीर भुट्टो की हत्या के बाद और भी मजबूत होकर उभरी|

कहने का तात्पर्य यह है कि पाकिस्तानी सेना ने वहाँ के राजनीतिक नेताओं का एक-दूसरे के खिलाफ बखूबी इस्तेमाल किया और सत्ता पर अपनी पकड़ बनाए रखी| चाहे वह बेनजीर भुट्टो हों, आसिफ अली ज़रदारी हों, नवाज़ शरीफ हों या इमरान खान, सेना ने सबको बारी-बारी से दूसरे नेताओं के विरुद्ध सफलतापूर्वक इस्तेमाल किया है| इस प्रक्रिया में इसने कुछ को अपने साथ मिलाकर रखा तो कुछ को डरा-धमकाकर| इस मिल-मिलाकर व डरा-धमकाकर चलने वाले खेल में इसे देश की दक्षिणपंथी ताकतों, जिनके पास सड़क पर बड़ी संख्या में निकलकर किसी भी सरकार को घुटने टेकने को मजबूर करने की ताकत है, का सहयोग मिलने के साथ ही अक्सर एक अनुगामी न्यायपालिका का भी भरपूर सहयोग मिला जो इसके असंवैधानिक कृत्यों को कानूनी मान्यता प्रदान करती रही है| कभी-कभार दिखने वाले इफ्तिखार मुहम्मद चौधरी जैसे लोगों, जिन्होंने जनरल परवेज़ मुशर्रफ को प्रत्यक्ष रूप से चुनौती दी, को अपवाद की श्रेणी में रखा जा सकता है| वर्तमान समय में कुछ विश्लेषकों का मानना है कि मुख्य न्यायाधीश काज़ी फैज़ ईसा संविधान के अनुरूप चल रहे हैं और उसी के आधार पर फैसले दे रहे हैं|

इसमें तनिक भी सन्देह नहीं है कि न्यायमूर्ति काज़ी फैज़ ईसा अपनी न्यायिक सेवा के दौरान एक ऐसे न्यायाधीश रहे हैं जिन्होंने संविधान के अनुरूप न चलने वालों से सवाल पूछने और जिरह करने के मामले में किसी को भी नहीं बख्शा| मुख्य न्यायाधीश का पदभार ग्रहण करने के पश्चात उनके कृत्यों जैसे कि उच्चतम न्यायालय में खण्डपीठ बनाने, कार्यवाही का सीधा प्रसारण करने, फैज़ाबाद धरने के फैसले का अनुपालन न होने और 9 मई को हुई हिंसा में सम्बन्ध स्थापति करने से लेकर 8 जनवरी को अनुच्छेद 62(1)(f) पर दिए गए फैसले आदि पाकिस्तान की न्यायपालिका में लोगों का निश्चित रूप से विश्वास बढ़ाते हैं तथा इस बात की तस्दीक करते हैं कि न्यायमूर्ति काज़ी फैज़ ईसा संवैधानिक प्रक्रिया को मजबूत बनाने का कार्य कर रहे हैं|

हालाँकि हमें उन तथ्यों की एकतरफा अनदेखी भी नहीं करनी चाहिए जिनके आलोक में वर्तमान गतिविधियाँ चल रही हैं| उदाहरण के लिए पी.टी.आई. और पी.एम.एल.-एन. के बीच सत्ता को लेकर जारी उठा-पटक और उसमें पाकिस्तानी सेना की महती भूमिका पाकिस्तान में राजनीतिक परिदृश्य को पूरी तरह से बदल रही है| जब से इमरान खान और सुरक्षा प्रतिष्ठानों के बीच मतभेद बढ़े हैं, पाकिस्तानी सेना ने न केवल उन्हें सत्ता से बेदखल किया है बल्कि उनके जेल जाने से लेकर उनके राजनीतिक दल पी.टी.आई. को नेस्तनाबूद करने और आगामी 8 फरवरी को होने वाले चुनाव में हाशिए पर पहुँचाने में महती भूमिका निभा रही है|

निष्कर्ष

इसमें रत्ती भर संदेह नहीं है कि एक सोची समझी रणनीति के तहत सुरक्षा अधिष्ठानों ने पूर्व प्रधानमंत्री नवाज़ शरीफ की वतन-वापसी सुनिश्चित की तथा उसके बाद उनके राजनीतिक जीवन के मार्ग में आने वाली बाधाओं को एक-एक करके हटा दिया| यह किसी आश्चर्य से कम नहीं है कि वही नेशनल एकाउंटेबिलिटी ब्यूरो (एन.ए.बी.), जिसने नवाज़ शरीफ के ऊपर मुकदमें चलाकर उनके राजनीतिक भविष्य पर प्रश्नवाचक चिह्न लगाया था तथा जिसकी परिणति उच्चतम न्यायालय द्वारा आजीवन प्रतिबंध के रूप में हुई, वही एन.ए.बी. अब उनके मामले में आत्मसमर्पण कर निष्प्रभावी हो गया है और न्यायपालिका उन्हें एक के बाद एक मामले में राहत प्रदान करती जा रही है| जनरल नज़ीर अहमद के नेतृत्व में एन.ए.बी. अपनी पूरी ताकत से इमरान खान समेत पी.टी.आई. के अन्य नेताओं एवं कार्यकर्ताओं के खिलाफ उसी तेजी से आगे बढ़ रही है जैसे कि कभी नवाज़ शरीफ और उनके नजदीकी लोगों के खिलाफ कार्रवाई कर रही थी|

वर्तमान समय में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ़ जनरल आसिम मुनीर के नेतृत्व में पाकिस्तानी सेना हर कीमत पर इमरान खान को सत्ता में वापस आने से रोकना चाहती है| इमरान खान की लोकप्रियता को देखते हुए यह काम आसान नहीं है| इस समय नवाज़ शरीफ एक मात्र ऐसे नेता हैं जिनका न केवल एक राजनीतिक आधार और राजनीतिक विरासत है बल्कि उनमें वह योग्यता भी है जिसके दम पर इमरान खान जैसे नेता के विरुद्ध मजबूती से खड़ा हुआ जा सके| पाकिस्तानी सेना ने इसीलिए नवाज़ शरीफ के साथ परदे के पीछे एक समझौता किया है जिसके तहत उनकी सत्ता में वापसी कराई जा रही है| अब यह देखना दिलचस्प होगा कि नवाज़ शरीफ के मस्तक पर काँटों भरा ताज कब तक सुसज्जित रह सकेगा|

About the Author

Dr. Ashish Shukla is Associate Fellow at the Manohar Parrikar Institute for Defence Studies and Analyses, New Delhi.

Manohar Parrikar Institute for Defence Studies and Analyses is a non-partisan, autonomous body dedicated to objective research and policy relevant studies on all aspects of defence and security. Its mission is to promote national and international security through the generation and dissemination of knowledge on defence and security-related issues.

Disclaimer: Views expressed in Manohar Parrikar IDSA's publications and on its website are those of the authors and do not necessarily reflect the views of the Manohar Parrikar IDSA or the Government of India.

© Manohar Parrikar Institute for Defence Studies and Analyses (MP-IDSA) 2024

Manohar Parrikar Institute for Defence Studies and Analyses
1, Development Enclave, Rao Tula Ram Marg
New Delhi 110 010 India
T +91-11-2671 7983 F +91-11-2615 4191
www.idsa.in
Twitter @IDSAIndia
www.facebook.com/ManoharParrikarInstituteforDefenceStudiesAnalyses